

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (SH-84) की बाँयी पटरी किमी 0 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा संख्या 1149/2 व 1150 मि 0 पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि 0, आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे 0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 41601/2019

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	जनहित को देखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 13.01.2020

स्थान : आगरा।

(के 0 प्रमुख राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।